

प्रेषक,

डा0 अशोक चन्द्र ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन,लखनऊ।

3- महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

5- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को-ऑपरेटिव
संघ,(पी0सी0एफ0)
32 स्टेशन रोड, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 एगो, 22 विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

9-अधिशोषी निदेशक,
उ0प्र0,राज्य कर्मचारी
कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केन्द्रीय भण्डारागार निगम,
गोमती नगर, लखनऊ।

13- शाखा प्रबंधक,
नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग
फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (नैफेड)

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

6-प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु
निगम, 17 गोखले मार्ग, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन
(पी0सी0यू0)

10- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम
न्यू हैदराबाद,लखनऊ।

12- शाखा प्रबंधक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी
संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0),
लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2018

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2018-19 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-02 /2018/206 /29-5-2018-5(1)/18 दिनांक 21-03-2018 के प्रस्तर-3के उप प्रस्तर -3.3 में यह व्यवस्था की गयी है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

"खाद्य विभाग के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां, 30प्र0 द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों से गेहूँ खरीद की जायेगी। पंजीकृत सहकारी समितियां अच्छी साख व सुदृढ आर्थिक स्थिति वाली होनी चाहिए एवं समितियों के उपनियम (Bylaws) में खाद्यान्न की खरीद बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिए। पंजीकृत सहकारी समितियों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त की जायेगी।"

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गेहूँ क्रय नीति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-02/2018/206/29-5-2018-5(1)/18 दिनांक 21-03-2018 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-3.3 में किये गये प्राविधानों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त 30प्र0 को-आपरेटिव यूनियन (यू0पी0सी0यू0) को पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों को खोलने हेतु निम्नलिखित शर्त के साथ अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

"पंजीकृत सहकारी समितियाँ अच्छी साख की होनी चाहिए। उन्होंने स्वेच्छा से पी०सी०यू० के साथ गेहूँ क्रय करने की सहमति दी हो तथा उन्होंने धान क्रय वर्ष 2018-19 में पी०सी०यू० के साथ सम्बद्ध रह कर क्रय का कार्य किया हो। ऐसी समितियां जिन्होंने गत वर्ष गेहूँ व धान क्रय में किसी संस्था से सम्बद्ध होकर कार्य नहीं किया है अथवा नई स्थापित हैं, वे स्वेच्छा से खाद्य विभाग/पी०सी०यू० से सम्बद्ध होकर मूल्य समर्थन योजना 2018-19 में गेहूँ का क्रय कर सकती है। पंजीकृत सहकारी समितियों की नियुक्ति क्रय नीति के प्रस्तर -3 के उप प्रस्तर-3.3 के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।"

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० अशोक चन्द्र)

विशेष सचिव।

संख्या-06/2018/ 278(1)/29-5-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री 30प्र0।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, 30प्र0 शासन,वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार@U; k; विभाग।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त,30प्र0।
- 7- संयुक्त सचिव,भारत सरकार,उपभोक्ता मामले| नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,कृषि भवन,नई दिल्ली।
- 8- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम,नई दिल्ली।
- 9- निदेशक| राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 10- आयुक्त,वाणिज्य कर,30प्र0,लखनऊ।
- 11- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग|7 बालाकदर रोड, लखनऊ।
- 12- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियों, 30प्र0 लखनऊ।
- 13- कृषि निदेशक,30प्र0 लखनऊ।
- 14- अपर आयुक्त (विपणन)वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग|लखनऊ।
- 15- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी,30प्र0।
- 16- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी,खाद्य तथा रसद विभाग, 30प्र0।
- 17- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 18- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
- 19- निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,30प्र0।
- 20- मीडिया सलाहकार, मा0मुख्यमंत्री जी,30प्र0।
- 21- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0,लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।